



2026: AHC: 32080-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **3277/2026**

इकरार अली याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: शकील अहमद आज़मी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को दिन के दौरान पक्षकारों की श्रेणी में आवश्यक सुधार करने की अनुमति दी जाती है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है: -

"(i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जो प्रतिवादी को अपराध संख्या 0038/2024, आई.पी.सी. की धारा 506, 420, 406, थाना करारी, जिला कौशाम्बी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



में दिनांक 01.03.2024 की उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के क्रम में निष्पक्ष जांच पूरी करने का निर्देश दे।

(ii) कोई भी उपयुक्त आदेश या निर्देश जारी करें, जिसे यह माननीय न्यायालय उचित और उपयुक्त समझे।

(iii) याचिकाकर्ता को याचिका का खर्च प्रदान करें।”

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता प्रथम सूचनाकर्ता है और उसने दिनांक 01.03.2024 को विवादित एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी, हालांकि, पुलिस निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से मामले की जांच नहीं कर रही है।
5. उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता अपनी शिकायत बताते हुए और निष्पक्ष एवं तटस्थ जांच की मांग करते हुए प्रतिवादी संख्या 2- पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी के समक्ष एक आवेदन दे सकता है। यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा आवेदन दिया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 2- पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी, वर्तमान मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और त्वरित जांच सुनिश्चित करेंगे।
6. उपरोक्त आदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

12 फरवरी, 2026

नदीम

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”